बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

पत्र सं0– टी–3 / योजना(LWE) –12 / 2015–...1633.... /   पटना, दिनांक–   12.8.15

प्रेषकः–   अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः–   श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर (जमुई) के तकनीकी प्राक्कलन को मॉडल प्राक्कलन मानते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डुमरिया, गया (उग्रवाद प्रभावित) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु 672.00 लाख रूपये (छः करोड़ बहत्तर लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के उग्रवाद प्रभावित छः जिलों नामतः रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एवं जमुई के युवक / युवतियों को कुशल तकनीशियन एवं कामगार तैयार करने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक आच्छादित जिलों में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित कर रोजगार / स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो राज्यादेश पत्रांक 1333 दिनांक 30.06.2015 द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित है। इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भवन निर्माण मद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच राशि का व्यय 75:25 (केन्द्रांशःराज्यांश) के अनुपात में किया जायेगा।

उक्त के आलोक में श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण–पक्ष), बिहार, पटना के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर (जमुई) के तकनीकी प्राक्कलन को मॉडल प्राक्कलन मानते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डुमरिया, गया (उग्रवाद प्रभावित) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रूपये 672.00 लाख (छः करोड बहत्तर लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर (जमुई) का प्राक्कलन भागलपुर के Schedule of rate पर बनाया गया है। इस योजना का पुनः स्थानीय Schedule of rate पर प्राक्कलन बनाया जायेगा और व्यय स्थानीय प्राक्कलन (Schedule of rate) के आधार पर ही किया जायेगा।

2– इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न प्रकार किया जायेगा–

क. केन्द्रांश मद में– मुख्य शीर्ष–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य, लघु शीर्ष–051 निर्माण, मांग संख्या–03–भवन निर्माण विभाग, उप शीर्ष– 0222 कौशल विकास योजना, विपत्र कोड–P4059600510222 के अन्तर्गत कुल राशि 372.60 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा।

ख. राज्यांश मद में–मुख्य शीर्ष–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य, लघु शीर्ष–051 निर्माण, मांग संख्या–03–भवन निर्माण विभाग, उप शीर्ष–0322 कौशल विकास योजना, विपत्र कोड–P4059600510322 के अन्तर्गत कुल राशि 124.20 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा तथा

ग. **राज्य योजना**– अवशेष राशि 175.20 लाख रूपये राज्य योजना मद से व्यय की जायेगी।

3– बजट उपबंध / आवंटन के अनुरूप आवश्यकतानुसार ही राशि की निकासी होगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–एम04–5198 –2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– संचिका सं0–टी–3 / योजना (LWE) –12 / 2015 के पृ0–...9... / टि0 पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7– संचिका सं0–टी–3 / योजना (LWE) –12 / 2015 के पृ0–...5.. / टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

12.8.15

(देवनन्दन यादव)
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3 / योजना(LWE)-12 / 2015–...1633... / पटना, दिनांक– 12.8.15

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में) / वित्त विभाग (बजट शाखा) / विकास आयुक्त के सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.8.15

(देवनन्दन यादव)
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3 / योजना(LWE) –12 / 2015–...1633... / प ट ना, दिनांक– 12.8.15

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / जिलाधिकारी, गया / आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गया / प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, डुमरिया, गया (उग्रवाद प्रभावित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, डुमरिया, गया (उग्रवाद प्रभावित) को निदेश दिया जाता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें (प्राक्कलन की प्रति संलग्न)।

12.8.15

(देवनन्दन यादव)
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।